न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/30/2019	2019/00136	02.09.2019	24.05.2022

1. पूरण चन्द मीना पुत्र स्व0 श्री गेंदाराम मीना, जाति मीना, निवासी खोहरा चौहान, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0)।
2. मुकेश कुमार मीना पुत्र स्व0 श्री गेंदाराम मीना, जाति मीना, निवासी खोहरा चौहान, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0)।

अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू0 अभिलेख) राजगढ हाल तहसील रैणी, जिला अलवर राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 03.06.1981 नामान्तकरण संख्या 138 वाके ग्राम खोहरा चौहान तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी

उपस्थितः–

01. श्री विकास मीना – वकील अपीलाण्ट्स
02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ हाल रैणी के निर्णय दिनांक 03.06.1981 नामान्तकरण संख्या 138 वाके ग्राम खोहरा चौहान तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिसके द्वारा नामान्तकरण विरासत का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 हाल 75 रकबा 1.72 है0, 76 रकवा 1.14 है0, 77 रकबा 0.20 है0, 505 रकबा 0.10 है0, 506 रकबा 0.08 है0, 507 रकबा 0.17 है0, 605 रकवा 0.01 है0, 606 रकवा 0.29 है0, 607 रकबा 0.07 है0, 609 रकबा 0.32 है, 780 रकवा 0.36 है0, 781 रकबा 0.24 है0 व 844 रकबा 0.44 है0 कुल किता 13 रकवा 4.82 है0 साविक खसरा न0 35 मिन रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा, 60 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, 73 रकवा 08 बिस्वा, 135 रकबा 01 बीघा 14 बिस्बा व 170 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम खोहरा चौहान तहसील राजगढ हाल रैणी जिला अलवर में स्थित है।

24/05/2022
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

जिन आराजियात में अपीलान्ट संख्या 01 व 02 का प्रत्येक में 1/9–1/9 हिस्सा है जो आराजियात अपीलार्थीगण की मौरूसी/पुश्तैनी/दादालाई आराजियात है। उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण के दादा श्री नत्था मीना पुत्र दयाचन्द मीना थे। जिनका स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके विधिक वारिसान श्रीमति मल्ला, पातला, वंसी, गैंदा व मु0 नहनी वारिस काबिज जायदाद हुए तथा अपीलार्थीगण के पिता श्री गेंदा राम मीना का स्वर्गवास हो जाने के बाद अपीलार्थीगण व उनकी माताजी धोली के नाम इन्तकाल विरासत संख्या 138 दिनांक 03.06.1981 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभियान ग्राम बैरेर तहसील राजगढ हाल रैणी जिला अलवर राजस्थान में अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका दिये बगैर बाला–बाला ही स्वीकृत फरमाया गया।

अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 03.06.1981 कान्ट्रेरी टू लॉ एवं प्रोसिजर के विपरीत किए जाने से अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 03.06.1981 पारित करने के दिन अपीलार्थी संख्या 01 की उम्र करीब 03 साल व अपीलार्थी संख्या 02 उम्र करीब सवा साल थी। राजस्व अभियान के दौरान आक्षेपित आदेश 03.06.1981 में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण का घर में लिए जाने वाला नाम पप्पू व सौमोत्या दर्ज कर दिया गया जबकि उपर्युक्त इंतकाल में अपीलार्थीगण का नाम पूरण चन्द मीना व मुकेश कुमार मीना होना चाहिए था। जो काबिले दुरूस्त है। अपीलार्थी संख्या 01 के परिवार राशन कार्ड, विद्यालय की अंकतालिका, आधार कार्ड, चालान अनुज्ञा पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि सभी में अपीलार्थी संख्या 01 का नाम पूरण चन्द मीना दर्ज है एवं इसी प्रकार अपीलार्थी संख्या 02 के परिवार राशन कार्ड, विद्यालय की अंकतालिका, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चालान अनुज्ञ पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि सभी में अपीलार्थी संख्या 02 का नाम मुकेश कुमार मीना दर्ज है। उक्त सभी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 03.06.1981 अपास्त किए जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण दिनांक 27.08.2019 को अपनी आराजियात के बाबत केसीसी सुविधा लेने हेतु पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने पर अपीलार्थीगण को यह जानकारी हुई की उपरोक्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थीगण का नाम पप्पू व सौमोत्या दर्ज हो गया। उक्त आलौच्य आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया जिसकी नकल दिनांक 30.08.2019 को तैयार होकर प्राप्त की। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 30.08.2019 को ही अलवर आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया। अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 03.06.1981 विरूद्ध अपील दायर करने की सलाह दिए जाने पर अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में अपील दायर की गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.06.1981 की जानकारी दिनांक 28.08.2019 को होने से मामूलन अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानूनी मियाद अधिनियम 1963 के तहत अलग से पेश किया गया है। अपील. अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.06.1981 इंतकाल विरातस संख्या 138 को निरस्त फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

24.05.2022

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि रेसपोडेन्ट के द्वारा दिनांक 03.06.1981 को नामान्तकरण संख्या 138 स्वीकार करते समय सहवन से अपीलान्टस के नाम पप्पू व सौमोत्या दर्ज कर दिये गये हैं जबकि अपीलार्थी संख्या 01 के परिवार राशन कार्ड, विद्यालय की अंकतालिका सत्र 1992–93, आधार कार्ड, चालान अनुज्ञा पत्र, जाति प्रमाण पत्र संख्या 18091994183 आदि सभी में अपीलार्थी संख्या 01 का नाम पूरण चन्द मीना दर्ज है एवं इसी प्रकार अपीलार्थी संख्या 02 के परिवार राशन कार्ड, विद्यालय की अंकतालिका सत्र 1994–95, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चालान अनुज्ञा पत्र, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र क्रमांक 1639 दिनांक 02.11.1998, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 4901 दिनांक 17.11.2011 आदि सभी में अपीलार्थी संख्या 02 का नाम मुकेश कुमार मीना दर्ज है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 03.06.1981 द्वारा स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 138 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ हाल रैणी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.1981 नामान्तकरण संख्या 138 वाके ग्राम खोहरा चौहान तहसील राजगढ हाल रैणी निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ हाल तहसील रैणी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 03.06.1981 के सन्दर्भ में वारिसान की जांच कर एवं वारिसान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

वंदना खोरवाल 24.05.2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

राजस्थान सरकार